भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1221

08.12.2025 को उत्तर के लिए

मानव-वन्यजीव संघर्ष के हॉटस्पॉट

1221. **श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीति और कार्य योजना (एचडब्ल्यूसी-एनएपी) के अंतर्गत केरल राज्य में चिह्नित किए गए मानव-वन्यजीव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी) के हॉटस्पॉट का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त हॉटस्पॉट में संघर्ष को कम करने के लिए उपाय किए हैं;

(ग) वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष के हॉटस्पॉट पर स्थापित पूर्व चेतावनी और त्वरित अनुक्रिया प्रणाली का तैनात प्रौद्योगिकियों और स्थल आधारित चेतावनी तंत्र सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्च मानव-वन्यजीव संघर्ष का सामना कर रहे राज्यों, विशेषकर वायनाड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार मानव-वन्यजीव संघर्ष का पता लगाने और उसे कम करने के लिए कोई नई या उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रायोगिक परियोजनाओं एवं कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा वन्य जीव गलियारों के प्रबंधन और प्रशासनिक सीमाओं के पार विशेषकर वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आवाजाही के लिए पड़ोसी राज्यों के बीच वास्तविक समय पर आंकड़ों का आदान-प्रदान और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) मानव-वन्यजीव संघर्षों के शमन सहित वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन प्रथम उत्तरदाता होता है।

केरल राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंतर-विभागीय प्रयासों से शमन कार्यकलापों के प्रभावी प्रबंधन हेतु, दिनांक 07/03/2024, शासनादेश संख्या 4/2024/डीएमडी के माध्यम से केरल में मानव-वन्यजीव संघर्ष को "राज्य-विशिष्ट

आपदा" घोषित किया गया है। तदनुसार, 2024 में ही, 12 भू-दृश्यों में 271 पंचायतों/नगरपालिकाओं को मानव-वन्यजीव संघर्ष क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन पंचायतों/नगरपालिकाओं में से 30 की पहचान मानव-वन्यजीव संघर्ष (एच.डब्ल्यू.सी) हॉटस्पाटों के रूप में की गई है। इन 30 हॉटस्पॉटों की सूची अनुलग्नक-1 में दी गई है।

राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए वायनाड लोकसभा क्षेत्र में तीन रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं नामत: सुल्तान बाथरी (वायनाड जिला), मनंतावडी (वायनाड जिला) और नीलांबुर (मलप्पुरम जिला)। इसके अलावा, सैटेलाइट कलपेट्टा और मेप्पाडी (वायनाड जिला) में आरआरटी को भी तैनात किया गया है। उत्तर वायनाड डिवीजन की पेरिया रेंज में, एआई संचालित परिधि घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (स्मार्ट-फेंसिंग) को प्रायोगिक आधार पर स्थापित किया गया है, जो प्रभावी पाई गई है। यह अभिनव प्रणाली वितरित ध्वनिक सेंसिंग तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (10 किमी तक फैला हुआ) वन्यजीवों की हरकत से होने वाले कंपन का पता लगाता है

एच.डब्ल्यू. सी हॉटस्पोटों पर विशेष ध्यान देते हुए वन क्षेत्रों में डोन और थर्मल कैमरा आधारित निगरानी और प्रारंभिक डिटेक्शन प्रणाली तैनात की गई है। राज्य की सीमाओं को पार करने वाले वन्यजीवों की निगरानी और इससे संबंधित सूचना साझा करने तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। 2024 के दौरान अंतर-राज्यीय समन्वय समिति की मंत्री स्तरीय और सचिव स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं और 10.03.2024 को बांदीपुर, कर्नाटक में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सहयोग और सूचना आदान-प्रदान के लिए समझौता किया गया।

इसके अलावा, सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

(i) संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है, जिससे ग्राम सभा से परामर्श सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (क) राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों को अधिनियम की अनुसूची-I में आने वाले उन वन्यजीवों के शिकार के लिए परमिट देने की शक्ति देती है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या किसी प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम की अनुसूची-II के अंतर्गत आने वाले वन्यजीवों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है, यदि वे जीव मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो जाएं।

(iii) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पर्यावास संरक्षण के लिए देश भर में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(iv) मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी, 2021 को मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए परामर्शी जारी की गई है। मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु 3 जून 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। प्रमुख संघर्ष-प्रवण प्रजातियों के लिए प्रजाति-विशिष्ट शमन दिशानिर्देश, के साथ-साथ मीडिया सहभागिता, व्यावसायिक सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया पर विस्तृत परामर्शी के अतिरिक्त मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन पर फील्ड मैनुअल और लीनियर अवसंरचना के लिए पर्यावरण-अनुकूल उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए।

(v) 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 24 गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के लिए संकेंद्रित संरक्षण सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) 'वन्यजीव पर्यावास विकास' और 'प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफैंट' योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राजय क्षेत्रों को संघर्ष शमन उपायों, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, भौतिक अवरोध, जीवन, पशुधन और फसलों के नुकसान के लिए मुआवज़ा, और त्वरित प्रतिक्रिया दलों की तैनाती, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में मृत्यु या स्थायी अक्षमता के लिए अनुग्रह राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, साथ ही राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार चोटों और संपत्ति/फसल क्षति के लिए मुआवज़े के अन्य मानदंड भी निर्धारित किए हैं। रेडियो-कॉलरिंग, डिजिटल सेंसर दीवारें और ई-निगरानी सहित उन्नत तकनीकों का इन संघर्ष शमन उपायों में तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

(vii) मंत्रालय जागरूकता फैलाने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भी राज्यों को सहायता प्रदान करता है और वन विभाग सतर्कता, पूर्व चेतावनी और जन जागरूकता के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन हेतु एसएसीओएन, कोयंबटूर में उत्कृष्टता केंद्र, स्थापित किया गया है।

(viii) इसके अलावा, एनटीसीए, डब्ल्यूआईआई और मंत्रालय द्वारा सुरक्षित वन्यजीव आवागमन सुनिश्चित करने के लिए 32 प्रमुख बाघ गलियारों और 150 हाथी गलियारों की पहचान की गई है और इन भूदृश्यों में दीर्घकालिक संरक्षण और संघर्ष कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

अनुबंध-I

"मानव-वन्यजीव संघर्ष हॉटस्पॉट" के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1221 के भाग (क) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

इन 30 हॉटस्पॉट पंचायतों / नगर पालिकाओं की सूची निम्नलिखित है

क्र. सं.	जोखिम श्रेणी	प्रबंधन की इकाई	प्रबंधन इकाई का नाम	ज़िला
1	बहुत उच्च	नगर पालिका	मानंतवाडी	वायनाड
2			सुल्तान बाथेरी	वायनाड
3		पंचायत	कुट्टमपुझा	एर्नाकुलम
4			मनकुलम	इडुक्की
5			नूलपुझा	वायनाड
6			पनामारम	वायनाड
7			थाविनहाल	वायनाड
8			थिरुनेली	वायनाड
9			थॉन्डरनेड	वायनाड
10	उच्च	पंचायत	अगली	पालककड़
11			अरलम	कन्नूर
12			एरिएन्कावु	कोल्लम
13			अय्यम्पुझा	एर्नाकुलम
14			कंथल्लूर	इडुक्की
15			केलकम	कन्नूर
16			कोडास्सेरी	त्रिशूर
17			कूवप्पाडी	एर्नाकुलम
18			कोट्टापडी	एर्नाकुलम
19			कोट्टियूर	कन्नूर
20			कुलाथुपुज़हा	कोल्लम
21			मीनांगडी	वायनाड
22			मुल्लमकोल्ली	वायनाड
23			पय्यावूर	कन्नूर
24			पेरिंगम्माला	तिरुवनंतपुरम

25			पिंडिमाना	एर्नाकुलम
26			पूथडी	वायनाड
27			पुलपल्ली	वायनाड
28			शोलायर	पालककड़
29			वेल्लामुंडा	वायनाड
30			वेंगूर	एर्नाकुलम

*****